

संख्या-949/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,  
विशेष सचिव,  
30प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,  
30प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10  
2024

लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई,

विषय- प्रदेश के 03 शहरों (आगरा, प्रयागराज एवं झांसी) हेतु Indian Institute of Public Health (IIPH) गांधीनगर द्वारा सिटी हीट ऐक्शन प्लान विकसित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी विल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-150/हीटवेव/2024-25, दिनांक 27.05.2024, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के 03 शहरों (आगरा, प्रयागराज एवं झांसी) हेतु Indian Institute of Public Health (IIPH) गांधीनगर द्वारा सिटी हीट ऐक्शन प्लान विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रिपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी विल्डिंग मद-11 से 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को धनराशि **₹0 35.40** लाख (पैंतीस लाख चालीस हजार रुपये) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार प्रदेश के 03 शहरों (आगरा, प्रयागराज एवं झांसी) हेतु Indian Institute of Public Health (IIPH) गांधीनगर द्वारा सिटी हीट ऐक्शन प्लान विकसित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रिपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी विल्डिंग मद-11 से धनराशि **₹0 35.40 लाख** (पैंतीस लाख चालीस हजार रुपये) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्त/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा। 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइंस के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तिकांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **₹ 35.40 लाख** (पैंतीस लाख चालीस हजार रुपये) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by **भवदीय,**  
Ram Kewal (राम केवल)  
Date: 19-07-2024, 13:29:39  
विशेष सचिव

**संख्या:-949(1)/एक-10-2024, तददिनांक।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।

2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।

- 3- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- राजस्व अनुभाग-11/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-23/07/2024

प्रेषण संख्या:- 949  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-949  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	3540000 328528912	3540000 328528912
	योग	वर्तमान प्रगामी	3540000 328528912	3540000 328528912

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैतीस लाख चालीस हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बत्तीस करोड़ पंचासी लाख अठाईस हजार नौ सौ बारह

  
(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
(संतोष कुमार)  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उत्तर प्रदेश।